ग्रामीण विकास एवं रोजगार

12

ग्रामीण विकास एवं रोजगार

मुख्य बिन्दु

- मनरेगा–वित्तीय वर्ष 2022–23 में 25.74 लाख परिवारों को रोजगार, 1,325.17 लाख मानव दिवस सृजित जिसमें महिलाओं का प्रतिशत 53 है। वर्ष 2022–23 में 3,51,325 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार।
- मनरेगा अंतर्गत वर्ष 2023–24 में सितम्बर तक 19.93 लाख परिवारों को रोजगार, 672.92 लाख मानव दिवस सृजित, महिलाओं का प्रतिशत 54 है। वर्ष 2023–24 में सितम्बर तक 27,591 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार।
- वर्ष 2023–24 (सितंबर) में उपलब्ध राशि 2,670.81 करोड़ रू. से 2,356.28 करोड़ रू. व्यय।
- चक्रिय निधि से 2022–23 में 25,081 स्व–सहायता समूहों को रू. 3,766.05 लाख, 2023–24 में सितम्बर तक 12,552 समूहों को रू. 1,887 लाख प्रदाय।
- बैंक क्रेडिट लिंकेज अंतर्गत वर्ष 2022–23 में 94,405 स्व–सहायता समूहों को रू. 131,938.1 लाख तथा वर्ष 2023–24 में सितम्बर तक 50,930 समूहों को रू. 71,690 लाख ऋण प्रदाय। में सितम्बर तक 50,930 समूहों को रू. 71,690 लाख ऋण प्रदाय।

ग्रामीण विकास

छत्तीसगढ़ में त्रि–स्तरीय पंचायत राजव्यवस्था वर्ष 2000 में राज्य स्थापना के साथ लागू हुई। संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के 29 कार्यों (11वीं अनुसूची) का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 255.45 लाख है। जहां 76.76% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आती है, इस प्रकार राज्य में ग्रामीण विकास का विश्लेषण अति आवश्यक है।

12.1 वर्तमान में प्रदेश में 28 जिला पंचायतें, 146 जनपद पंचायतें तथा जनगणना 2011 के अनुसार 10971 ग्राम पंचायतें तथा 20126 ग्राम हैं एवं पंचायत विभाग 2019–20 के अनुसार 11,664 ग्राम पंचायतें तथा 20,255 ग्राम स्थापित हैं पंचायतराज संस्थाओं के कार्यक्रमों हेतु उनके स्वयं के संसाधन तथा राज्य एवं केन्द्र से प्राप्तियां शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ में गाँव की स्थिति निम्न तालिका में दर्शित है।

तालिका – 12.1 ग्रामीण छत्तीसगढ़ की स्थिति

मद	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
छ.ग: कुल जनसंख्या (लाख)	74.57	91.54	116.37	140.40	176.15	208.33	255.45
छ.ग: पिछले एक दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि (%)	9.42	22.72	27.12	20.39	25.73	18.27	22.61
छ.ग: ग्रामीण जनसंख्या (%)	70.93	83.91	104.29	119.52	145.5	166.47	196.08
छ.ग: पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि		18.30	24.29	14.60	21.74	14.41	17.79
छ.ग: पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि (%)		12.98	20.38	15.23	25.98	20.97	29.61
छ.ग: कुल ग्रामीण जनसंख्या कुल जन संख्या के अनुपात में (%)	95.12	91.66	89.62	85.31	82.60	79.91	76.76
भारत: कुल जनसंख्या (लाख)	3611	4392	5482	6833	8464	10287	12109
भारत: पिछले एक दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि (%)	13.31	21.64	24.8	28.66	23.87	21.54	17.7
भारत : ग्रामीण जनसंख्या(लाख)	2987	3603	4391	5238	6288	7426	8338
भारत: पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि		20.62	21.87	19.29	20.05	18.10	12.28
भारत: पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि (लाख)		616	788	847	1050	1138	912
भारत: कुल ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या के अनुपात में (%)	82.72	82.04	80.10	76.66	74.29	72.19	68.86

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है की छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले 5 दशकों में समग्र राज्य की वृद्धि की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर में कमी पायी गयी है। जहां वर्ष 1951 में कुल जनसंख्या का ग्रामीण भाग 95 प्रतिशत था वहीं वर्ष 2011 की जनगणना के

अनुसार यह 77 प्रतिशत तक हो गया है। निरपेक्ष संख्या की दृष्टि से वर्ष 1951 में ग्रामीण जनसंख्या केवल 70.93 लाख थी जो अब 2011 जनगणना के अनुसार 196.08 लाख है।

12.2 ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए स्वास्थ्य व शिक्षा, पानी तथा साफ–सफाई, पशु चिकित्सा सेवाओं सहित सहकारिता आवश्यक हैं, विशेष रूप से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के युग में इस प्रकार ग्रामीण विकास, विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए एक एकीकृत अवधारणा है, जिसकी पंचवर्षीय योजनाओं में प्रमुखता रही है। किसी भी अर्थतंत्र की प्रगति के लिए ग्रामीण विकास महत्वपूर्ण माना जाता है, भारत में ग्रामीण विकास की गति चिंता का विषय है। भारत ग्रामीण विकास में अभी भी बहुत पीछे है।

निम्न तालिकाओ में छत्तीसगढ़ के सामाजिक संकेतांकों की दृष्टि से तुलनात्मक उपलब्धियों को दर्शाया गया है।

तालिका 12..2 छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सूचकांक

सूचकांक	2019-21			2020		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
अशोधित जन्म दर				22	23.4	17.3
कुल प्रजनन क्षमता दर	1.8	1.9	1.4			
शिशु मृत्यु दर	44.3	48.7	26.2	38	40	31
5 साल के नीचे मृत्यु दर	50.4	55.8	50.4			
अशोधित मृत्यु दर				7.9	8.4	6.3
Source:- NFHS 2019-21				**Source:- SRS 2020**		

तालिका 12.3 जीवित जन्म 2008–2021 संस्थागत प्रसव (सरकारी/गैर सरकारी अस्पताल) का प्रतिशत

मद	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
कुल	35.2	40.3	47.4	54.1	63.3	66.5	71.8	57.9	50.7	59.2	73.8	80.5	88.0	86.7	86.2
ग्रामीण	30.7	35.9	43.0	50.3	60.5	64.0	68.2	47.6	40.0	52.3	37.7	40.5	85.7	83.2	80.4
नगरीय	65.6	68.9	76.9	79.2	81.7	83.3	85.2	73.9	72.2	73.4	36.1	40.0	90.4	89.9	91.6
Source : Annual Vital Statistics Report															

तालिका 12.4 मृत्यु 2008–21 संस्थागत (सरकारी/गैर सरकारी अस्पताल) का प्रतिशत

मद	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
कुल	25.1	25.7	25.8	26.2	26.5	32.1	35.9	29.1	30.5	36.8	40.8	39.9	26.2	24.3	22.0
ग्रामीण	20.9	21.5	21.7	22.2	22.7	28.8	31.5	20.9	22.6	25.3	21.0	13.9	9.9	3.7	2.8
नगरीय	50.1	50.3	50.6	50.9	51.3	53.7	56.8	46.3	49.5	56.0	19.9	21.0	51.2	58.3	59.5
Source : Annual Vital Statistics Report															

राज्य में ग्रामीण विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए विभिन्न योजनाएं यथा ग्रामीण विकास के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, आजीविका मिशन (NRLM) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, विधायक आदर्श ग्राम योजना, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन योजना आदि कार्यक्रम विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं विधायक निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना का क्रियान्वयन आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा किया जा रहा है।

12.3 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :– देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों की आजीविका को सुरक्षा प्रदान करने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 दिनांक– 07 सितम्बर, 2005 को जारी की गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में 2 फरवरी 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना प्रारंभ की गई। प्रथम चरण में–02 फरवरी 2006 से 11 जिले (बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जशपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव एवं सरगुजा), द्वितीय चरण में–दिनांक 01 अप्रैल 2007 से 04 जिले (रायपुर, जांजगीर–चांपा, कोरबा एवं महासमुंद) तथा तृतीय चरण में–दिनांक 01 अप्रैल, 2008 से राज्य के समस्त जिलों में योजना प्रभावशील है।

12.3.1 उद्देश्य :–

- अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना एवं स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन करना है।
- ऐसे ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है, उनके द्वारा आवेदन किये जाने पर 15 दिवस के भीतर रोजगार मुहैया कराये जाने की गारंटी लागू है।
- अधिनियम के तहत पंजीकृत परिवार की महिलाएं, रोजगार हेतु आवेदन करती है; उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाती है, यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि कम से कम एक तिहाई महिला लाभान्वित हो।

- ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत दिव्यांगजन रोजगार के लिए आवेदन करते हैं, तो उन्हें योग्यता एवं क्षमता अनुसार काम दिया जाता है।
- काम की मांग करने वाले आवेदक को 15 दिवस के भीतर श्रम रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिवस हेतु न्यूनतम मजदूरी दर का एक चौथाई होता है एवं 30 दिवस के उपरान्त न्यूनतम मजदूरी दर का आधा होता है। राज्य द्वारा ''महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी बेरोजगारी भत्ता नियम–2013'' बनाया गया है।
- राज्य शासन द्वारा वर्ष 2013–14 से महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिवस रोजगार प्रदाय किया जा रहा है। अतिरिक्त 50 दिवस पर होने वाला व्यय का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाता है।
- वन अधिकार पत्रधारक आदिवासी परिवारों को 150 दिवस का रोजगार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, बशर्ते उन परिवारों के पास FRA अधिनियम, 2006 द्वारा प्रदत्त भूमि अधिकारों के अलावा कोई अन्य निजी सम्पत्ति न हो।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिये महात्मा गांधी नरेगा से सामान्य क्षेत्रों में 90 मानव दिवस एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 95 मानव दिवस कार्य का लाभ प्रदान की जाती है।
- श्रमिकों को मजदूरी भुगतान बैंक/डाकघर के बचत खातों के माध्यम से किया जाता है।
- वर्ष 2023–24 के लिये भारत सरकार द्वारा प्रति दिवस मजदूरी दर राशि रू. 221/– निर्धारित किया गया है।
- जिला स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री का 60:40 के अनुपात में राशि व्यय का प्रावधान है।
- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत मशीनों से कार्य कराना प्रतिबंधित है, परंतु निम्नाकिंत कार्यों के लिये मशीनों का उपयोग कुछ शर्तों के अधीन दिया गया है :– भूमि का उत्पादकता बढ़ाने हेतु–कुआँ खोदने के लिये पंप सेट, कम्प्रेसर हैमर, लिफ्ट डिवाईस, सड़क निर्माण के लिये–पावर रोलर, ट्रेलर माउन्टेड वाटर ब्रोसर, स्टैटिक

स्मूथ विल्ड रोलर आफ 8–20 टन वेट, मैक्निकल मिक्सर, मैक्निकल वाइब्रेटर, भवन निर्माण के लिये–मिक्सर और मैक्निकल वाइब्रेटर, भवन निर्माण सामग्री का उत्पादन–मशीन फार सी एस ई बी का ब्रिक्स/ब्लाकमेकिंग मशीन, मेकेनिकल ऑगर प्रावधान किया गया है।

12.3.2 पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व :–

- भारत सरकार के निर्देशानुसार पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु राज्य में पृथक से ''सामाजिक अंकेक्षण इकाई'' का गठन किया गया है।
- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का निराकरण हेतु ''छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गांरटी शिकायत निवारण नियम, 2012'' बनाया गया है।
- शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु राज्य द्वारा www.mgnrega.cg.gov.in में ऑनलाईन व्यवस्था की गई है।
- पारदर्शिता तथा Realtime MIS अद्यतन करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के कार्यों हेतु पूरे राज्य में e-Muster Roll का प्रयोग किया जा रहा है।
- महात्मा गांधी नरेगा की धारा 27 के तहत् योजना क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के निवारण (निपटारे) के लिए जिला स्तर पर लोकपाल की नियुक्ति की गई है।
- जिलों के लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड के विरूद्ध सुनवाई हेतु राज्य स्तर पर त्रिसदस्यीय अपीलीय प्राधिकरण गठन किया गया है।

12.3.3 गुणवत्ता पूर्ण स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण :–

- निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निर्माणाधीन कार्यों की सतत् निगरानी की व्यवस्था की गयी है, राज्य, जिला एवं विकासखण्ड स्तर से अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये जाते हैं।
- गुणवत्तापूर्ण स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अभियंताओं के सतत् पर्यवेक्षण के साथ ही विभाग के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों के द्वारा भी आबंटित जिलों में निरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है।

- **BFT (Barefoot Technician)** :— निर्माण कार्यों में तकनीकी सहायकों के सहयोग के लिए बेयरफुट तकनीशियन को 90 दिवस का प्रशिक्षण दिया जाकर ग्राम पंचायतों में कार्य लिया जा रहा है। इनका कार्य कामों का चिन्हांकन, ले—आउट करना, किये गये कार्यों का माप करना एवं माप पुस्तिका में दर्ज करने में तकनीकी सहायक को सहायता करना है।

- **GIS (Geogrophic Information System)** :— भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा हेतु NRSC (National Remote Sensing Center) के माध्यम से केंद्रीकृत GIS प्रणाली Geo-MGNREGA को क्रियान्वयन किया जा रहा हैं। इस प्रणाली से योजना के अंतर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों को मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से (Geo-tagged (letitude & longitude) फोटोग्राफ भुवन पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।

- **जनमनरेगा** :— भारत सरकार द्वारा आमजनों के लिये महात्मा गांधी नरेगा की मूलभूत जानकारी तथा महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों के Geo-tagged के माध्यम से फोटो प्राप्त कर उपलब्ध कराये गये है। जिसे आमजन जनमनरेगा एप पर देख सकते है।

- **National Mobile Monitoring System (NMMS)** :— भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा कार्यों के कार्य स्थल से मस्टररोल में उपस्थिति लेने हेतु मोबाईल एप्लीकेशन उपलब्ध कराया गया।

12.3.4 भुगतान प्रक्रिया :—

- मजदूरी भुगतान समय पर करने के उद्देश्य से PFMS/e-FMS प्रणाली प्रारंभ की गई है। योजना के समस्त भुगतान PFMS/e-FMS से श्रमिकों के बैंक/पोस्ट के खाते में किये जा रहे हैं। नवम्बर, 2016 से NeFMS के माध्यम से मजदूरों को मजदूरी भारत सरकार द्वारा सीधे अंतरित की जा रही है।

- **SECURE SOFTWARE :-** भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा संपादित किये जाने वाले निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार करने, तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति आनलाईन प्रदान करने हेतु "SECURE SOFTWARE" (software for estimate calculation

using rural rate for employment) का राज्य के सभी जिलों में वर्ष 2018–19 से प्रारंभ किया जा चुका है, जो MIS से लिंक है।

- **प्रोजेक्ट उन्नति** :– प्रोजेक्ट उन्नति के तहत् वित्तीय वर्ष 2018–19 में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 100 दिवस से अधिक कार्य करने वाले हितग्राहियों को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से RSETI/DDU-GKY/KVK के द्वारा उनके रूचि के ट्रेड्स में प्रशिक्षण प्रदान करते हुए, उन्हे रोजगार/स्व–रोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है।
- **12.3.5 विलंबित मजदूरी भुगतान के लिये मुआवजा** :– महात्मा गांधी नरेगा की धारा 3 (3) के अनुसार, श्रमिक साप्ताहिक आधार पर मजदूरी पाने के हकदार होते हैं, यदि मस्टर रोल बंद होने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर मजदूरी भुगतान नहीं किया जाता है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 29 के अनुसार मजदूरी प्राप्तकर्ता मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिन से विलंब के लिये भुगतान न की गई मजदूरी पर प्रतिदिन 0.05 प्रतिशत की दर से मुआवजा पाने के हकदार होता है।
- **मातृत्व अवकाश भत्ता** :– योजनांतर्गत निर्माण कार्यों में कार्यरत ऐसे महिला श्रमिकों को जो विगत 12 माह में 50 दिवस मजदूरी कार्य किया है, उनको राज्य शासन द्वारा 'मातृत्व अवकाश भत्ता' के रूप में एक माह का मजदूरी राशि का भुगतान राज्य बजट से किया जा रहा है।
- **कार्य स्थल पर उपलब्ध सुविधाएं**:– कार्यस्थल पर पेयजल, छाया हेतु शेड, प्राथमिक उपचार सुविधा तथा मजदूरों के 5 वर्ष से कम आयु के 5 से अधिक बच्चे होने पर शिशुघर (Creche) की सुविधा दिये जाने का प्रावधान है।

12.3.4 प्रगति :– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत वर्ष 2022–23 (अप्रैल, 2022 से सितम्बर, 2022) एवं (अप्रैल, 2022 से मार्च 2023) तक की प्रगति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 (अप्रैल, 2023 से सितम्बर 2023) तक की प्रगति का विवरण निम्न तालिका में दर्शित है :–

तालिका क. 12.5 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की वर्षवार प्रगति						
क्र.	मद	2020–21	2021–22	2022–23		2023–24
		अप्रैल से मार्च	अप्रैल से मार्च	अप्रैल से सितं.	अप्रैल से मार्च	अप्रैल से सितं.
1	पंजीकृत परिवार (लाख में)	40.94	41.11	41.13	39.81	37.97
2	रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवार की संख्या (लाख में)	30.60	28.54	13.55	25.74	19.93
3	उपलब्ध राशि (करोड़ में)	4537.79	4484.64	2281.26	4403.16	2670.81
4	व्यय राशि (करोड़ में)	4419.35	3881.41	1498.81	3720.16	2356.28
5	सृजित मानव दिवस (लाख में)	1840.93	1692.37	325.57	1325.17	672.92
6	महिलाओं का प्रतिशत	50%	51%	52%	53%	54%
7	स्वीकृत कार्य संख्या (स्पील ओवर सहित) (लाख में)	5.25	4.83	2.96	4.64	3.99
8	100 दिवस पूर्ण परिवारों की संख्या	611991	555540	6185	351325	27591

12.4 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ''बिहान''(NRLM) :– स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन कर इसे समाप्त करते हुए दिनाँक 01.04.2013 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सम्पूर्ण प्रदेश में लागू किया गया है। योजनांतर्गत वित्त पोषण केन्द्र तथा राज्य के मध्य 60:40 के अनुपात में किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार के अवसरों का सृजन कर ग्रामीण परिवारों की गरीबी दूर करना है। समुदाय आधारित समूहों के लिए सूक्ष्म उद्यमों का विकास तथा ग्रामीण बी.पी.एल. युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाना इस योजना में शामिल है एवं मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति में सार्वभौमिक सामाजिक संगठनीकरण, सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण, समूहों के संघ का निर्माण, प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेशन, बाजार एवं अधोसंरचना उपलब्ध कराना इत्यादि कार्य किया जाना है।

12.5 सामुदायिक निवेश कोष (Community Investment Fund) :– राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत सामुदायिक निवेश कोष का प्रावधान स्व–सहायता समूहों के जीविकोपार्जन संबंधी गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक पूंजी के रूप में किया गया है, जिसके अंतर्गत महिला स्व–सहायता समूहों को सूक्ष्म ऋण योजना के आधार पर 60 हजार रूपए तक की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है, जिसकी वापसी महिला स्व–सहायता समूह द्वारा ग्राम संगठन के माध्यम से संकुल स्तरीय संगठन को किया जाता है।

सामुदायिक निवेश निधि की राशि संकुल स्तरीय संगठन (Cluster Level Federation-CLF) के लिये अनुदान है, परन्तु ग्राम संगठन, स्व–सहायता समूह एवं उनके

सदस्यों के लिये ऋण के रूप में दिया जाता है। जहां संकुल स्तरीय संगठन का गठन हो चुका है, वहां सामुदायिक निवेश निधि सीएलएफ के माध्यम से दिया जाता है, परन्तु जिस विकासखण्ड में संकुल स्तरीय संगठन का गठन नहीं हुआ है, वहां सामुदायिक निवेश निधि की राशि सीधे महिला स्व–सहायता समूहों को जनपद के माध्यम से दिया जा रहा है।

तालिका क. 12.6 सामुदायिक निवेश कोष

क	वित्तीय वर्ष	लक्ष्य (कुल स्व–सहायता समूह)	उपलब्धि		लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि
			स्व–सहायता समूह	राशि (लाख में)	
1	2022-23 (अप्रैल से सितम्बर)	11590	8308	4984,76	72%
2	2022-23 (अप्रैल से मार्च)	23180	20060	12036.02	87%
3	2023-24 (अप्रैल से सितम्बर)	10405	16990	10194	163%

12.6 चक्रिय निधि (Revolving Fund) :- चक्रिय निधि की परिकल्पना महिला स्व–सहायता समूह में आंतरिक उधार की प्रक्रिया को गति देने, कोष के आकार में वृद्धि करने एवं समूहों के विकास हेतु एक तंत्र के रूप में की गई है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा वैसे स्व–सहायता समूह जो तीन माह से पंचसूत्र (नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित आंतरिक लेन–देन, नियमित ऋण वापसी तथा नियमित साप्ताहिक लेखा संधारण) का पालन कर रहे हों, उन्हें 15,000/– रूपये की राशि चक्रिय निधि के रूप में प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

तालिका क्र. 12.7 चक्रिय निधि

क.	वित्तीय वर्ष	लक्ष्य (कुल स्व–सहायता समूह)	उपलब्धि		लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि
			स्व–सहायता समूह	राशि (लाख में)	
1	2022-23 (अप्रैल से सितम्बर)	20000	8805	1320.9	44%
2	2022-23 (अप्रैल से मार्च)	40000	25081	3766.05	63%
3	2023-24 (अप्रैल से सितम्बर)	25000	12552	1887	50%

12.7 बैंक लिंकेज :– महिला स्व–सहायता समूहों के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंकों के साथ जोड़ना मिशन का मुख्य उद्देश्य है। महिला स्व–सहायता समूहों को बैंक के माध्यम से फ्रेस एवं रिपीट ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। ताकि स्व–सहायता समूह के सदस्य अपनी आजीविका संबंधी गतिविधि को बढ़ावा दे सकें।

तालिका क्र. 12.8 स्व–सहायता समूहों का बैंक क्रेडिट लिंकेज					
क	वित्तीय वर्ष	लक्ष्य (कुल स्व–सहायता समूह)	उपलब्धि		लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि
			स्व–सहायता समूह	राशि (लाख में)	
1	2022-23 (अप्रैल से सितम्बर)	43000	47202	65969	110%
2	2022-23 (अप्रैल से मार्च)	86000	94405	131938.1	110%
3	2023-24 (अप्रैल से सितम्बर)	58800	50930	71690	87%

12.8 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) :– दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षण प्रदाय कर रोजगार के बेहतर अवसर प्रदाय करना है। राज्य में योजना वर्ष 2014 से YP State के तहत संचालित थी। वर्ष 2016 से राज्य को Annual Action Plan का दर्जा प्राप्त हुआ जिसके पश्चात् योजना क्रियान्वयन सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय राज्य स्तर पर लिया जाता है।

- 15 से 35 आयु वर्ग के इच्छुक ग्रामीण गरीब एवं वंचित वर्ग के युवाओं के लिए विशेष योजना, विशेष समूहों यथा पीवीटीपी, दिव्यांग आदि के लिए 45 वर्ष तक निःशुल्क आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण का प्रावधान।
- समुचित काउंसलिंग के उपरांत युवाओं की अभिरूचि, योग्यता एवं रोजगार के अवसर के अनुसार प्रशिक्षण।
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत रोशनी कार्यक्रम के तहत सुदूर, अतिसंवेदनशील नक्सली क्षेत्रों के युवक–युवतियों को योजनांतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

क्र	वित्तीय वर्ष	कुल प्रशिक्षित	कुल सेटल्ड
01	2021–22 (अप्रैल से मार्च तक)	10900	4214
02	2022–23 (अप्रैल से मार्च तक)	9725	8199
03	2023–24 (अप्रैल से सितम्बर तक)	1445	1214

12.9 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान –

RSETI (Rural Self Employment Training Institute**)** ग्रामीण बी.पी.एल. हितग्राहियों को समुचित प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारत सरकार के सहयोग से लीड बैंकों के माध्यम से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर–सेटी) की स्थापना की गई है। वर्तमान में प्रदेश के अविभाजित 18 जिले में आर–सेटी केन्द्र स्थापित है, जिसमें 11 भारतीय स्टेट बैंक, 05 देना बैंक तथा 02 सेन्ट्रल बैंक द्वारा संचालित है, इन सभी केन्द्रों में संबंधित बैंकों द्वारा आर–सेटी संचालकों की पदस्थापना की गई है। भारत सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण व आवासीय प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक केन्द्र के लिये रू. एक करोड़ की केन्द्रीय सहायता दी गई है। राज्य के समस्त अविभाजित 18 जिलों में संबंधित जिले के लीड बैंक को प्रशिक्षण भवन निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि आबंटित की गई है। अब तक 17 आर–सेटी भवन पूर्ण किये गये हैं एवं रायपुर आरसेटी का भवन निर्माण प्रगति पर है तथा इन्हीं केन्द्रों में प्रशिक्षण का कार्य संचालित हो रहे हैं। प्रशिक्षण हेतु समस्त राशि का वहन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ग–1 हेतु रू. 42.40/– प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ग–2 हेतु रू. 36.50/– एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ग–3 हेतु रू. 30.20/– प्रति घण्टा प्रति हितग्राही की दर से व्यय का प्रावधान है तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि 200 घण्टे निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में 12,120 लक्ष्य (बीपीएल हितग्राही) के विरूद्ध 3,492 स्वरोजगारियों का प्रशिक्षण (माह सितम्बर 2021 तक) पूर्ण कर लिया गया है। अब तक कुल 1,03,275 स्वरोजगारियों को प्रशिक्षण प्रदाय किया गया।

तालिका क. 12.9 RSETI (Rural Self Employment Training Institute)

क्र.	वित्तीय वर्ष	कुल प्रशिक्षित	कुल सेटल्ड
1	2022–23 (अप्रैल से मार्च)	12744	11343
2	2023–24 (अप्रैल से सितम्बर)	7665	2391

12.10 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण एक केंद्र पोषित परियोजना है, जिसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है। **प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण** अंतर्गत वर्ष 2024 तक सभी के लिये आवास के उद्धेश्य से ग्रामीण क्षेत्रों के बेघर एवं कच्चे मकानो में रह रहे गरीब परिवारों को स्वंय का

पक्का एवं आपदा रोधक मकान उपलब्ध कराये जाने के उददेश्य से 01 अप्रैल 2016 से **प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण** का कियान्वयन किया जा रहा है।

पीएमएवाई–जी की मुख्य विशेषताएं –

- आवास निर्माण के लिए जगह 25 वर्ग मीटर किया गया है। जिसमें स्वच्छ रसोई हेतु क्षेत्र भी शामिल है।
- मैदानी क्षेत्रों में इकाई सहायता राशि रू. 1.20 लाख और पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों एवं आईएपी जिलों में राशि रू. 1.30 लाख प्रावधानित किया गया है।
- केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच इकाई (आवास) सहायता लागत का वहन 60:40 के आधार पर किया जाता है।
- सामान्य क्षेत्र के हितग्राही को आवास निर्माण हेतु राशि रू. 1.20/– लाख, महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 90 दिन की मजदुरी शौचालय सहित एवं ए।च जिलों में कुल राशि रू. 1.30/– लाख, महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 95 दिन की मजदुरी शौचालय सहित अनुदान दिया जा रहा है।
- ग्राम सभा द्वारा लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 के आधार पर ही किया जाता है।
- लाभार्थियों के पंजीकृत बैंक खातों में सीधे इलेक्ट्रानिक तरीके (एफ.टी.ओ.) के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जाती है।
- पीएमवाई–जी के संबंध में लाभार्थियों को समय–समय पर आवश्यक जानकारी हितग्राही उन्मुखीकरण के माध्यम से प्रदाय की जा रही है।
- स्थानीय सामाग्रियों, डिजाईनों और प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों का उपयोग करते हुए लाभार्थियों द्वारा अच्छे आवास का निर्माण किया जा रहा है।

पात्र लाभार्थियों के प्राथमिकता क्रम का निर्धारण–पीएमएवाई (जी) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के दायरे के प्राथमिकता क्रम का निर्धारण सामाजिक–आर्थिक पैरामीटरों के आधार पर किया गया है :–

- स्वतः शामिल परिवार
- शून्य कमरे वाले परिवार
- सभी 5 वंचन सूचकांक में शामिल

- सांसद आदर्श ग्राम और रूरबन के चयनित गामों में सभी पात्र हितग्राहियों को चिन्हांकित करना।
- कच्ची दीवारों/कच्ची छत एक कमरें वाले परिवार निःशक्त सदस्य वाले और किसी सक्षम शरीर वाले वयस्क सदस्य से रहित परिवार
- कच्ची दीवारों/कच्ची छत एक कमरें वाले परिवार भूमिहीन परिवार जो अपनी ज्यादातार कमाई मजदूरी से प्राप्त करते है।
- कच्ची दीवारों/कच्ची छत एक कमरें वाले परिवार महिला मुख्यिा वाले परिवार जिसमें 16 से 59 वर्श के बीच की आयु का कोई वयस्क पुरूश सदस्य नहीं है।

पात्र लाभार्थियों के प्राथमिकता के निर्धारण के पश्चात प्रत्येक ग्रामपंचायत/कांउसिल या संबंधित राज्य/सं.शा, क्षेत्र पंचायत अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त स्थानीय स्व–शासन की सबसे निम्नतम इकाई के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य और अल्पसंख्यक वर्गो की अलग–अलग प्राथमिकता सूचियां पात्र लाभाथियों की उपलब्धता के आधार पर तैयार किया जाता है। तत्पश्चात से सूचियां ग्राम सभा द्वारा सत्यापन के लिए संबंधित ग्रामपंचायतों को उपलब्ध करायी जाती है।

भारत सरकार के आवास सॉफ्ट पोर्टल से प्राप्त 25 लाख परिवारों की सूची व ग्रामसभा सत्यापन कर अपिलीय समिति के अनुमोदन उपरांत कुल 18,75,585 पात्र परिवारों को स्थायी प्रतीक्षा सूची का निर्धारण किया गया है। प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा आबंटित लक्ष्य के विरूद्ध स्थायी प्रतीक्षा सूची से हितग्राहियों का चयन किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्षवार लक्ष्य से लाभान्वित करने के उपरांत स्थायी प्रतीक्षा सूची की स्थिति निम्नानुसार है:–

तालिका क. 12.10 वर्षवार भौतिक प्रगति

स.क.	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष मे आवास निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्य	लक्ष्य के विरूद्ध भौतिक प्रगति	
			पूर्ण आवास	अपूर्ण आवास
1	2016–17	2,32,903	2,27,519	5,384
2	2017–18	2,06,372	2,01,824	4,548
3	2018–19	3,48,960	3,32,434	16,526
4	2019–20	1,51,100	1,14,472	36,626
5	2020–21	1,57,815	27,550	1,30,261
6	2021–22	0	0	0
7	2022–23	78,999	11,196	67,802
योग		**11,76,149**	**9,14,995**	**2,61,147**

वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2022–23 तक योजनांतर्गत कुल 11,76,146 आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से कुल 11,76,146 आवासों की स्वीकृति की जा चुकी है।

छत्तीसगढ़ राज्य में वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22एवं 2022–23 हेतु कुल स्वीकृत आवास 11,76,146 के विरूद्ध 9,14,995 आवास पूर्ण किये जा चुके है तथा 2,61,147 आवास निर्माणधीन/अपूर्ण है। हितग्राहियों द्वारा स्वयं प्रेरित होकर आवास बनाये जा रहे हैं।

12.11 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना :– गांव की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति की कल्पना अच्छी सड़कों के बिना संभव नहीं है। इसलिये आवश्यक है कि प्रत्येक गांव को बारामासी सड़कों से जोड़ा जावे। अतः भारत सरकार द्वारा 25.12.2000 को ''प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना'' इस उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई थी कि ''सामान्य क्षेत्रों में 500 तथा आदिवासी क्षेत्र एवं आई.ए.पी. जिलों में 250 या इससे अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी हुई बसाहटों को अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाना है''। ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा 09 अप्रैल 2014 को नक्सल प्रभावित 07 जिलों के 29 विकासखण्डों का चयन करते हुए इन विकासखण्डों में 100 से 249 जनसंख्या वाली बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने हेतु स्वीकृति है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सिर्फ अन्य जिला सड़कों एवं ग्राम सड़कों को सम्मिलित किया जा सकता है। शहरी क्षेत्र की सड़कों को इस कार्यक्रम की परिधि से बाहर रखा गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बसाहट को कम से कम एक बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है।

योजना के प्रारंभ से अब तक 8,538 सड़कें, लंबाई 42,518 किमी. एवं 458 वृहद पुल कुल राशि रु. 16,421 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई। माह–सितम्बर 2023 तक 8276 सड़कें, 40,326 किमी. लंबाई एवं 363 वृहद पुल पूर्ण कर रु. 15,266 करोड़ का व्यय किया गया है।

तालिका क्र. 12.11 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (राशि करोड़ रू. में, लंबाई कि.मी. में)					
क.	वर्ष	पूर्ण सड़कों की संख्या	पूर्ण लम्बाई	पूर्ण वृहद पुल की संख्या	व्यय राशि
1	2020–21 (अप्रैल से सितम्बर)	93	131.11	20	362.89
2	2020–21 (अप्रैल से मार्च)	282	4228.46	75	1546.46
3	2021–22 (अप्रैल से सितम्बर)	133	305.32	4	600.20
4	2021–22 (अप्रैल से मार्च)	326	2314.34	15	1748.21
5	2022–23 (अप्रैल से सितम्बर)	244	143.21	12	536.14
6	2022–23 (अप्रैल से मार्च)	385	248.00	28	999.82
7	2023–24 (अप्रैल से सितम्बर)	28	29.56	1	223.74

12.12 सांसद आदर्श ग्राम योजना :–11 अक्टूबर, 2014 से पूरे देश में सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू की गई। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2 के तहत राज्य के सभी 16 माननीय सांसदो द्वारा उनके कार्यकाल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2023–24 तक प्रत्येक वर्ष हेतु एक–एक ग्राम पंचायत का चयन किया जाना है। इस प्रकार कुल 80 पंचायतों का चयन अपेक्षित है, जिसके विरूद्ध अब तक कुल 72 पंचायतों का चयन किया जा चुका है एवं इनमें से 65 ग्राम पंचायतों की ग्राम विकास योजना तैयार की जा चुकी है। इन 65 पंचायतों की ग्राम विकास योजना में 2817 कार्यों को सूचीबद्ध किया गया जिसमें से 1733 कार्य पूर्ण हो चुके है जिसकी प्रगति 62 प्रतिशत है।

12.13 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेस 2:– स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लक्ष्यानुरूप 02 अक्टूबर, 2019 को महात्मागांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर संपूर्ण राष्ट्र खुले में शौचमुक्त घोषित हुआ। 01 अप्रेल, 2020 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के फेस–2 की शुरूआत हुई जिसका क्रियान्वयन 31 मार्च, 2025 तक किया जाना है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेस–2 के घटक निम्नानुसार हैं:–

तालिका क. 12.12 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) भौतिक प्रगति एवं अंशदान				
स.क.	घटक	प्रावधान राशि रू.	अंशदान	
			एस.बी.एम.जी.	15वाँ वित्त
1	व्यक्तिगत पारिवारिक षौचालय	12000/- प्रति परिवार	100%	0
2	सामुदायिक शौचालय	3,00,000/- प्रति यूनिट	70%	30%
3	ठोस एवं तरल अपषिष्ट प्रबंधन			
	3.1 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	5000 तक की आबादी वाले ग्राम हेतु रू. 60 प्रति व्यक्ति	70%	30%
		5000 से अधिक आबादी वाले ग्राम हेतु रू. 45 प्रति व्यक्ति	70%	30%
	3.2 तरल अपशिष्ट प्रबंधन	5000 तक की आबादी वाले ग्राम हेतु रू. 280 प्रति व्यक्ति	70%	30%
		5000 से अधिक आबादी वाले ग्राम हेतु रू. 660 प्रति व्यक्ति	70%	30%
	3.3 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट प्रति विकासखंड	रू. 16 लाख प्रति यूनिट	100%	0%
	3.4 फिकल स्लज मैनेजमेंट प्रति विकासखंड	रू. 230 प्रति व्यक्ति	100%	0%
	3.5 गोबरधन	रू. 50 लाख प्रति जिला	100%	0%
4	प्रचार–पसार	परियोजना लागत का 3 प्रतिशत	100%	0%
5	प्रशासनिक मद	परियोजना लागत का 1 प्रतिशत	100%	0%

प्राप्त पुरस्कार :–

- वित्तीय वर्ष 2022–23 मे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण मे प्रदेश को पूर्वी राज्यों मे प्रथम पुरस्कार।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 मे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण मे पूर्वी राज्यों मे प्रदेश के दुर्ग एवं बालोद जिलों को क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 मे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण मे नारा लेखन मे प्रदेश को मध्यम क्षेत्र मे तृतीय पुरस्कार।
- स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 में पतोरा ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती अंजिता गोपेश साहू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित।

12.14 रोजगार सेवा

12.14.1 युवा क्षमता विकास योजनाः– प्रदेश में युवाओं की क्षमता के विकास तथा युवा वर्ग को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने हेतु यह आवश्यक है कि राज्य के युवाओं को शिक्षण, प्रशिक्षण एवं भर्ती प्रक्रियाओं एवं ऋण अदायगियों में ऐसी कुछ सुविधा प्राप्त हो जिससे वह अपने विकास के राह में आने वाली बाधाओं को सहजता से पारकर अपनी क्षमता का विकास कर सकें । इसी उद्देश्य को दृष्टिगत कर राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं की क्षमता में वृद्धि करने के लिए ''युवा क्षमता विकास योजना'' प्रारंभ की गई है। योजनान्तर्गत निम्नानुसार प्रावधान है–

(क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के हितग्राहियों को प्रचलित ब्याज दर में प्रथम वर्ष के लिए 6 प्रतिशत की छूट।

(ख) व्यापम द्वारा आयोजित सभी प्रवेश तथा भर्ती परीक्षाओं के शुल्क में रू. 100 प्रति परीक्षार्थी की दर से छूट।

(ग) शासकीय आई.टी.आई. में अध्यनरत छात्रों के शिक्षण शुल्क (अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों को छोड़कर शेष छात्रों द्वारा देय रू. 1000/– प्रतिवर्ष) तथा परीक्षा शुल्क (रू. 100 प्रति छात्र प्रति सेमेस्टर) में 50 प्रतिशत की छूट।

(घ) स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के द्वारा आयोजित डिप्लोमा, स्नातक तथा स्नातकोत्तर परीक्षाओं (बैक पेपर्स को छोड़कर) के परीक्षा शुल्क (लगभग रू. 800 प्रति सेमेस्टर) में 50 प्रतिशत की छूट।

योजान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में राशि रूपये 80.00 लाख़ का बजट प्रावधान किया गया है।

12.14.2 रोजगार मेला/प्लेसमेंट केम्प का आयोजनः– प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना छत्तीसगढ़ शासन की सर्वदा सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। शासकीय नौकरियों की अपनी सीमा है, जो समस्त बेरोजगारों के लिए पूर्ण नहीं है। ऐसी परिस्थिति में निजी क्षेत्र ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प हो सकता है। रोजगार के 92 प्रतिशत अवसर निजी क्षेत्र में ही उपलब्ध है, क्योंकि राज्य स्थापना के उपरांत बड़ी संख्या में औद्योगिक एवं सेवा प्रतिष्ठानों की स्थापना इस प्रदेश में हुई है, जहां बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर

उत्पन्न हुए हैं। निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने नई औद्योगिक नीति में स्थानीय युवाओं के लिए विशेष प्रावधान भी किये हैं।

निजी क्षेत्रों मे रोजगार के उपलब्ध अवसरों का लाभ स्थानीय युवाओं को प्रदान करने के शासन की मंशा को कार्यरूप में परिणित करने, प्रदेश के जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में उपलब्ध रिक्तियों को स्थानीय युवाओं हेतु उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस अभिनव कार्यक्रम को रोजगार मेला/प्लेसमेंट केम्प के नाम से सम्पूर्ण प्रदेश में जाना जाता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में राशि रूपये 1.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

12.14.3 भारतीय सैन्य बलों में भर्ती पूर्व प्रशिक्षणः— छत्तीसगढ़ शासन के दूरदर्शी नीति के फलस्वरूप भारतीय सैन्य बलों, अर्धसैनिक बलों हेतु भर्ती रैली का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के युवाओं की भागीदारी भारतीय सैन्य बलों में बढ़ाने के उद्देश्य से एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। शासन द्वारा रोजगार विभाग को आवश्यक बजट उपलब्ध करवाकर भारतीय सैन्य बलों की भर्ती रैली के सफल आयोजन एवं उन रैलियों में राज्य के युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रचार प्रसार एवं भर्ती पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था रोजगार विभाग के माध्यम से की जाती है। इसका सुपरिणाम राज्य के युवाओं के चयन में निरंतर वृद्वि के रूप में स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में राशि रूपये 64 लाख़ का बजट प्रावधान किया गया है।

12.14.4 शिक्षित बरोजगारों को बेरोजगारी भत्ताः— छत्तीसगढ़ शासन, द्वारा राज्य में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से **''बेरोजगारी भत्ता योजना''** प्रारंभ की गई है। ''बेरोजगारी भत्ता'' शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार/व्यवसाय प्राप्ति के रिक्त अवधि में आर्थिक सहायता के रूप में प्रदाय की जाती है। यह योजना संपूर्ण छत्तीसगढ़ में दिनांक 01.04.2023 से लागू किया गया है। योजना के तहत पात्र शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह राशि रू. 2500/— मात्र बेराजगारी भत्ता दिये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में राशि रूपये 30000.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

तालिका क्रमांक 12.13 ''रोजगार पक्ष'' की विभागीय योजना का विवरण														
स. क.	योजना का नाम	वर्ष 2022–23 (अप्रैल 2022 से सित0 2022)				वर्ष 2022–23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2022)				वर्ष 2023–24 (अप्रैल 2023 से सित0 2023)				
		उपलब्धि				उपलब्धि				उपलब्धि				
		भौतिक	वित्तीय			भौतिक	वित्तीय			भौतिक	वित्तीय			
			प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत		प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत		प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत	
1	युवा क्षमता विकास योजना	0	460.00	0	0	3568	460.00	17.84	3.88	0	80.00	1.22	2.44	
2	रोजगारमेला प्लेसमेंटकेम्प	3255	100.00	7.09	7.09	3533	100.00	35.89	35.89	3255	100.00	51.37	51.37	
3	सेना भर्ती	0	64.00	2.08	3.25	0	64	3.08	4.81	0	64	2.83	4.42	
4	बेरोजगारी भत्ता	0	0	0	0	0	0	0	0	3000.00	3000.00	18207.52	187.74	